सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 77 कार्तिक 8, गुरुवार, शाके 1947–अक्टूबर 30, 2025 अंक 31
Vol. 77 Kartika 8 , Thursday, Saka 1947–October 30, 2025 No. 31

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम/उपनाम/सरनेम/परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र

[नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश सं. एफ 1/12/एफडी. आई. आर. 187, दिनांक 10.04.57 की अनुपालना में]

इस बन्ध पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता सुमेर सिंह सांखला (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व सुमेर सिंह (पुराना नाम) कहलाता था एवं जो अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना वृत्त जोधपुर (संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (स्थान जहां राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था, एतद्द्वाराः–

1. स्वयं तथा मेरे पति/मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हो मेरे पूर्व नाम सुमेर सिंह उपनाम (सिर्फ) को त्यागता हूं तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम सुमेर सिंह सांखला तथा उपनाम ग्रहण करता हूं एवं इसलिए मैं, मेरे पति/मेरी पत्नी, बच्चे, दूर के बच्चे एतद्वारा मेरे पूर्व नाम सुमेर सिंह (केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाए बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये नाम सुमेर सिंह सांखला द्वारा जाने जाएं।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता हूं कि मैं एतद् पश्चात सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध पत्रों, प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारो एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरो पर अपने पूर्व नाम सुमेर सिंह तथा उपनाम (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में सुमेर सिंह सांखला नाम रूप में तथा उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा एवं हस्ताक्षर करूंगा।
3. स्पष्टतः एतद्पश्चात तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे नये रखे नाम सुमेर सिंह सांखला उपनाम के नाम से संबोधित करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता हूं। इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम सुमेर सिंह सांखला तथा सुमेर सिंह का वर्णन किया है तथा दिनांक 16.06.2025 को हस्ताक्षर किये हे। हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम सुमेर सिंह सांखला द्वारा जो पूर्व में सुमेर सिंह कहलाता था, हस्ताक्षर किये हैं।

साक्षी :–
1. अरविन्द चावड़ा, पद :– निजी सहायक, ग्रेड प्रथम
2. विकल्प गुप्ता, पद :– अति.प्रशा. अधिकारी

सुमेर सिंह
हस्ताक्षर
नया नाम : सुमेर सिंह सांखला
पुराना नाम : सुमेर सिंह

प्रतिहस्ताक्षर
भूपेन्द्र सिंह वेधा
अधीक्षण अभियन्ता
जन स्वा. अभि. विभाग
परियोजना वृत्त, जोधपुर।

18379

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।